राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक प01(20)वन/2003 जयपुर, दिनांक :– 14.03.2023

परिपत्र

खनन हेतु जारी किये जाने वाले पट्टे को वन क्षेत्र जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा परिभाषित वन क्षेत्र, वैधानिक रूप से अधिसूचित वन क्षेत्र या राजकीय दस्तावेज में वन भूमि दर्ज है चाहे उसका मालिकाना हक किसी का भी हो, की वस्तुस्थिति की जानकारी देने में वन विभाग से अनापेक्षित विलंब नहीं हो इसकी सुनिश्चितता के लिए विभागों द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित करवाने हेतु समसंख्यक परिपत्र दिनांक 02.12.2021 जारी किया गया था।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश संख्या 20/2022 एवं 21/2022 के पालना में उपर्युक्त परिपत्र दिनांक 02.12.2021 के बिन्दु संख्या 6,7 एवं 8 के स्थान पर नवीन बिन्दु संख्या 6,7 एवं 8 निम्नानुसार होगें। परिपत्र दिनांक 02.12.2021 के अन्य बिन्दु पूर्ववत रहेगें:–

6. प्रस्तावित खनन क्षेत्र वन सीमा से 50 से 100 मीटर तक की दूरी में अवस्थित है तो ऐसी स्थिति में खान एवं वन विभाग के कम से कम सहायक वन संरक्षक स्तर अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण करना तथा आवेदित क्षेत्र के सीमा विवरण अनुसार मौके पर जी0पी0एस0 कोर्डीनेट अंकित सीमा स्तभों का निर्माण करवाया जाना अनिवार्य होगा। मौका निरीक्षण के दौरान ऐसे क्षेत्र के मीनारों की स्थिति की फोटोग्राफी (जिसमें पिलर व संयुक्त टीम को भी दर्शाया गया हो), की जावें एवं फोटोग्राफ मय जी0पी0एस0 कोर्डीनेट की एक प्रति खान विभाग एवं एक प्रति वन विभाग में संधारित की जाए।
7. यदि प्रस्तावित खनन वन सीमा से 50 मीटर से 100 मीटर की परिधि में अवस्थित है तो खान विभाग द्वारा खनन कार्य की अनुमति देने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये, कि खननकर्ता द्वारा वन सीमा की ओर वाली खान की सीमा पर पक्की दीवार का निर्माण व अन्य शर्त के पालना करने के बाद ही खनन कार्य प्रारम्भ किया जावे।
8. खनन क्षेत्र वन सीमा से 50 मीटर से या उससे कम दूरी पर होने पर वन विभाग की अनापत्ति जारी नहीं की जाए।

आज्ञा से

Signature Not Verified
Digitally signed by Monali Sen
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.06.14 16:01:31 IST
Reason: Approved

(मोनाली सेन)

कार्यालय पता:– वन विभाग कार्यालय , कमरा नम्बर 7317 , खाद्य भवन, सचिवालय, राजस्थान जयपुर,
दूरभाष संख्या– 0141–2227762 Mail ID ads.forest@rajasthan.gov.in

RajKaj Ref No. : 4048530

विशेषाधिकारी, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, पर्यावरण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (एच.ओ.एफ.एफ), राजस्थान, जयपुर।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
6. सभी डिविजनल कमीशनर, राजस्थान।
7. सदस्य सचिव, स्टेट एनवायरमेंटल इंपेक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, राजस्थान, जयपुर।
8. सदस्य सचिव, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक, राजस्थान।
10. निदेशक, खान एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर।
11. सभी जिला कलेक्टरों, राजस्थान।
12. समस्त उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी, राजस्थान।
13. रक्षित पत्रावली।

विशेषाधिकारी, वन

Signature Not Verified

Digitally signed by Monali Sen
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.06.14 16:01:31 IST
Reason: Approved

कार्यालय पताः– वन विभााग कार्यालय , कमरा नम्बर 7317 , खाद्य भवन, सचिवालय, राजस्थान जयपुर,
दूरभाष संख्या– 0141–2227762 Mail ID ads.forest@rajasthan.gov.in